15 Jul 2020

Social media
Share this article

रायपुर : राज्य के 56.32 लाख परिवारों को नवम्बर तक मिलेगा निःशुल्क चना और अतिरिक्त चावल : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश

रायपुर, 15 ज

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के 56 लाख 32 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी राशन कार्डधारियों को माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक अतिरि प्रति राशनकार्ड एक किलो चना निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। इन परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिमाह नियमित रूप से मिलने वाला चावल के अतिरिक्त होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव को देखते हुए इन परिवारों को अतिरिक्त राशन और पौष्टिक आहार के रूप में चना देने के निर्देश दिए हैं। इन राशनकार्डों में मासिक चावल निर्धारित उपभोक्ता दर एक रूपए प्रति किलो की दर से तथा अतिरिक्त चावल एवं चना निःशुल्क दिया जाएगा। माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं राशनकार्डों में एक किलो चना निःशुल्क एवं एक किलो चना पांच रूपए प्रति किलो की दर से वितरण किया जाएगा।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक सदस्य वाले अंत्योदय राशनकार्डधारी को 35 किलो मासिक आबंटन के साथ पांच किलो अतिरिक्त चावल निःशुल्क दिया जाएगा, इसे मिलाकर 4 किलो चावल जुलाई से नवम्बर तक दिया जाएगा। इसी प्रकार दो सदस्य वाले कार्ड पर 45 किलो, तीन सदस्य वाले कार्ड पर 50 किलो, चार सदस्य वाले राशन कार्ड पर 55 किलो, पांच सदस्य वाले पर अतिरिक्त निःशुल्क चावल मिलाकर 60 किलो प्रतिमाह चावल दिया जाएगा।

प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारी एक सदस्यी परिवार को दस किलो मासिक आबंटन की पात्रता में से पांच किलो निःशुल्क एवं पांच किलो चावल एक रूपए की दर पर माह जुलाई से नवम्ब वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार दो सदस्यी राशन कार्डधारी को 20 किलो चावल प्रतिमाह की पात्रता में से 10 किलो निःशुल्क एवं दस किलो एक रूपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। कार्डधारी को 35 किलो प्रतिमाह आबंटन में से 15 किलो निःशुल्क एवं 20 किलो एक किलो प्रति किलो की दर से, चार सदस्य वाले राशन कार्डधारी को 35 किलो प्रतिमाह आबंटन एवं पांच कि चावल मिलाकर प्रतिमाह 40 किलो चावल दिया जाएगा। इसमें से 20 किलो निःशुल्क एवं 20 किलो एक रूपए प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह चावल दिया जाएगा। पांच सदस्य वाले राशनकार्ड प प्रतिमाह मासिक आबंटन एवं 15 किलो निःशुल्क चावल मिलाकर कुल 50 किलो चावल दिया जाएगा। इसमें से 25 किलो निःशुल्क एवं 25 किलो एक रूपए प्रति किलो की दर पर दिया जाएगा वाले राशनकार्ड पर 7 किलो प्रति सदस्य मासिक आबंटन और तीन किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त चावल मिलाकर कुल 60 किलो चावल में से 30 किलो निःशुल्क एवं 30 किलो चावल को एक रूप की दर पर प्रतिमाह नवम्बर 2020 तक दिया जाएगा। निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को जुलाई से नवम्बर 2020 तक पांच किलो अतिरिक्त चावल रूप से नि जाएगा।

क्रमांक-25

TAGS:

Print this article